


हुकम या कीयेवाही मय इनाशियल्स जज

हुकम

16/3/17

आज पन्नांकम गांव के सामानदारों में
पत्र भेजा है कि पट्टेवाही इन्हें सामान
आदि धारा 17 प्रोवा में न्यायिक हो गया
है. अतः दावत के सामान जाने तापना
212 प्र. 14 में धारा 17 प्रोवा में
न्यायिक किया जाता है. पन्नांकम
में न्यायिक सुगल कल का 10 दफ्तर है.



उपनिष्ठाधिकारी
बाही (बीलपुर) जज